राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर जैसलमेर

(अपीलीय प्राधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

अपील संख्या 02/2019

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री फकीराराम पुत्र श्री उत्तमाराम निवासी ग्राम व पोस्ट खुईयाला जिला जैसलमेर।		अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

:: निर्णय :: **दिनांक : 12–04–2019**

01. अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी ने उसके आवेदन दिनांक 24–12–2018 के द्वारा चाही गई सूचनाएं उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

02. उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी को अपना–अपना लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

03. अपीलार्थी व प्रत्यर्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 24–12–2018 से कार्यालय जिला कलक्टर जैसलमेर के पत्र क्रमांक : सतर्कता/ 2018/ 3703 दिनांक 01–11–2018 विषय 'सरपंच /उपसरपंच /ग्राम पंचायत खुईयाला व अन्य के दबाव में लेकर गलत बयान दर्ज करने के संबंध में' की गई कार्यवाही की सत्यापित सूचना चाही गई है। प्रत्यर्थी अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा पत्र क्रमांक आरटीआई /2019 /60 दिनांक 26–03–2019 से अवगत कराया है कि पत्र क्रमांक : सतर्कता/ 2018/ 3703 दिनांक 01–11–2018 द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति सम को परिवाद में वर्णित तथ्यों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर परिवादी को सूचित करते हुए वस्तु स्थिति रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु लिखा गया था। उक्त परिवाद में विकास अधिकारी पंचायत समिति सम का जांच प्रतिवेदन इस कार्यालय में आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त सूचना से अपीलार्थी को अवगत करवाये जाने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज की प्रतियां प्रत्यर्थी द्वारा पृष्ठांकन पत्र क्रमांक आरटीआई /2019/ 61 दिनांक 26–03–2018 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है।

04. इस आलोक में अपील में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है एवं अपील पत्रावलित किये जाने योग्य है।

05. अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है।

06. मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर आज दिनांक 12–04–2019 को निर्णय किया गया।

07. निर्णय की प्रतियाँ उभय पक्ष को प्रेषित की जावे।

अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अधि० 2005 जिला कलक्टर जैसलमेर

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
जैसलमेर